20रु. कोर्ट फीस Rs.20 COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

(14)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्र. /2016 निग-2927-I-16

मोहम्मद कलाम खाँ पुत्र अलीशेर खाँ, निवासी कृषक ग्राम करंजिया, तहसील व जिला डिंडोरी, हाल निवास– 211–ए ब्लॉक आनन्द नगर बहोड़ापुर ग्वालियर, जिला ग्वालियर (म.प्र.)

--आवेदक

श्री विनोद भार्गव, अभि. द्वारा आज दि. 30-8-16 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 8.16
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विरुद्ध

1. भगत सिंह पुत्र धानू सिंह गोंड,
2. गोधन सिंह पुत्र पुत्र धानू सिंह गोंड,
3. कामता प्रसाद पुत्र धानू सिंह गोंड,

समस्त निवासीगण– ग्राम नदियाटोला करंजिया तहसील व जिला डिंडोरी (म.प्र)

4. मोहम्मद गुलाम खाँ पुत्र अलीशेर खाँ, निवासी ग्राम भानपुर तहसील [illegible]
5. मोहम्मद नवी शेर खाँ पुत्र अलीशेर खाँ ग्राम [illegible], तहसील व जिला [illegible]

समस्त निवासीगण– ग्राम दाड़ी भानुपर, तहसील व जिला डिंडोरी, (म.प्र.) –

–अनावेदकगण

विनोद भार्गव
एडवोकेट
ग्वालियर
30-08-2016

न्यायालय नायब तहसीलदार डिंडोरी, जिला डिंडोरी द्वारा प्रकरण क्रमांक 24(अ–27)/15–16अपील में पारित आदेश दिनांक 12/07/2016, के विरुद्ध म. प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण

माननीय महोदय,

आवेदक का पुनरीक्षण निम्नानुसार प्रस्तुत है ।

1. यहकि, ग्राम करंजिया तहसील व जिला डिंडोरी में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 1343, 1403, 1562, 1553, 2404, 2449, 2448 2563, 2604 एवं 2603 आवेदक तथा अनावेदक 4 से 6 के स्वत्व स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमियां है।

(3)

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 2927–एक/16 जिला – डिण्डोरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
06.02.18	यह निगरानी नायब तहसीलदार, डिंडोरी द्वारा प्रकरण कमांक 24(अ–27)/15–16 में पारित आदेश दिनांक 12–7–16 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ग्राम करंजिया तहसील व जिला डिण्डोरी स्थित भूमि सर्वे नं. 1343, 1403, 1562, 1553, 2404, 2449, 2448, 2563, 2604 एवं 2603 के संयुक्त खातेदारों के मध्य विभाजन हेतु संहिता की धारा 178 के तहत आवेदन पेश किया गया । इस आवेदन पर प्रकरण पंजीबद्ध कर नायब तहसीलदार ने आलोच्य आदेश द्वारा आवेदक का आवेदन इस आधार पर खारिज किया गया कि सिविल न्यायालय के समक्ष स्वत्व का प्रश्न लंबित है, व्यवहार न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय से स्पष्ट आदेश प्रस्तुत करना चाहिए जिससे राजस्व न्यायालय अग्रिम कार्यवाही कर सके । उक्त आदेश से व्यथित होकर यह निगरानी आवेदक द्वारा इस न्यायालय में पेश की गई है । 3/ आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिए गए हैं कि अधीनस्थ न्यायालय ने संहिता की धारा 178 को समझने में त्रुटि की है । यदि सिविल न्यायालय के समक्ष स्वत्व का प्रश्न लंबित हो औरयदि सिविल न्यायालय से कोई स्थगन आदेश नहीं हो तब संहिता की धारा 178 के परंतुक के अनुसार राजस्व अभिलेख के अनुसार विभाजन की कार्यवाही की जावेगी । यह तर्क दिया गया कि यदि बटवारे के प्रकरण में स्वामित्व का बिंदु उठाया जाता है तो सिविल न्यायालय से स्थगन आदेश लाने हेतु विभाजन की	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

कार्यवाही 3 माह तक स्थगित की जाना चाहिए । यदि इस तीन माह की अवधि में सिविल न्यायालय का स्थगन प्रस्तुत किया जाता है तब राजस्व न्यायालय द्वारा कार्यवाही रोक दी जायेगी । यदि सिविल न्यायालय का स्थगन प्रस्तुत नहीं किया जाता है तब तहसीलदार को राजस्व अभिलेख के अनुसार विभाजन की कार्यवाही जारी रखना चाहिए ।

विवादित भूमि आवेदक की स्वामित्व की है । तहसीलदार का यह कहना कि कई प्रकरणों में अनावेदकों को भूमिस्वामी स्वत्व प्राप्त हो चुके हैं, सही नहीं है क्योंकि किसी भी अनावेदक द्वारा इस प्रकार का कोई आदेश प्रस्तुत नहीं किया गया । उक्त आधारों पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को निरस्त करने तथा तहसीलदार को आवेदक के आवेदन पर बटवारे की कार्यवाही करने के निर्देश दिए जाने का निवेदन किया गया ।

4/ अनावेदक प्रकरण में एकपक्षीय हैं ।

5/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । इस प्रकरण में यह निर्विवादित तथ्य है कि प्रश्नाधीन भूमि केभूमिस्वामी आवेदक हैं, ऐसी स्थिति में उनको बटवारा कराने का पूर्ण अधिकार है । आलोच्य आदेश को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार ने अपने आदेश में जो आधार बटवारा आवेदन को निरस्त करने का दिया है वह औचित्यपूर्ण, न्यायिक एवं विधिसम्मत नहीं है क्योंकि संहिता की धारा 178 में स्पष्ट प्रावधान है कि यदि सिविल न्यायालय के समक्ष स्वत्व के प्रश्न के विषय में कोई लंबित हो तो ऐसी स्थिति में सिविल न्यायालय से स्थगन आदेश लाने हेतु विभाजन की कार्यवाही तीन माह के लिए स्थगित की जाना चाहिए और यदि इस तीन माह की अवधि के पश्चात सिविल न्यायालय का कोई स्थगन आदेश प्रस्तुत नहीं किया जाता है तब राजस्व अभिलेख के अनुसार विभाजन की अग्रिम कार्यवाही की जाना चाहिए । तहसीलदार के आदेश से स्पष्ट होता है कि उनके द्वारा उक्त

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 2927–एक/16 जिला – डिण्डोरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	विधिक प्रावधान को पूर्णतः अनदेखा किया गया है । आवेदक एवं अनावेदक कमांक 1 एवं 3 के मध्य 50 वर्षोंसे विवाद चलने के आधार पर बटवारा आवेदन निरस्त करना भी किसी भी दृष्टि से उचित नहीं ठहराया जा सकता । अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के पश्चात यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में तहसीलदार का जो आलोच्य आदेश है वह स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । अतः तहसीलदार का आलोच्य आदेश दिनांक 12–7–16 निरस्त किया जाता है एवं यह निगरानी स्वीकार करते हुए प्रकरण तहसीलदार को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर बटवारे की कार्यवाही संहिता की धारा 178 के प्रावधानों के अनुसार विधिवत की जाये । प्रशासकीय सदस्य	